5-17 आज पत्रावली कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र जोड़ली पर पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 ग्राम पंचायत जोड़ली सरपंच द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली रखा गया। जवाब की प्रति वादीगण को दिलाई गई। उभयपक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसील दार सपोटरा से तलब किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ग्राम किशोरपुरा तहसील सपोटरा के अपीलाधीन नां.क. सं. 186 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख. नं. 76 रकबा 3-06 बीघा के 1/2 हिस्सा के सह खातेदार सुखचन्द पुत्र छोटूचन्द कौम मीणा सा. पहाड़पुरा की विरासत का नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा छोटू के वारिसान चतरी, प्रभू वि. सुखचन्द के नाम पर खोला गया जिसे ILR ने अपनी टिप्पणी में सहीमाना

Rif

तथा ~~क्रम~~ 20/9/15 को सरपंच जोड़ली द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। इसकी अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा जमाबंदी सम्वत 2069-72 में उक्त ना. करण का अमल कर दिया। इसके पश्चात ग्रामपंचायत सरपंच द्वारा दिनांक 2/10/15 को उक्त नामान्तकरण के पुनार्वलोकन आदेश में नामान्तरकरण उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया। इस निर्णय को गेर जमाबंदी सं. 2069-72 में पटवारी हल्का द्वारा पुनः लाल स्याही से अंकित कर दिया। इससे व्यथित होकर वादीगणों ने अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज करने का निवेदन किया।

नामान्तरकरण के संबंध में उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण का अमल दरामद जमाबंदी सम्वत 2069-72 में हो चुका था। अतः जमाबंदी में अमल दरामद होने के पश्चात ग्रामपंचायत द्वारा

Ri4

नामान्तरकरण के आदेश का पुनर्विलोकन करना कानून सम्मत नहीं है। साथ ही विरासत के नामान्तरकरण में ग्राम पंचायत को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबंध में वादीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 186 के संबंध में दिये गये दोनों आदेश दिनांक 20/9/15 व 2/10/15 खारिज किये जाते हैं। तथा तहसीलदार सपोटरा को निर्देश दिए जाते हैं कि वह मृतक सुखचन्द पुत्र छोटू नि० पहाड़पुरा कौम मीणा के वारिसों की विधिवत जाँच कर नियमानुसार विधिक वारिसों के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित करें।

निर्णय आज कैंप कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र जाड़ली में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से रम हो दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	न अह ताम
	असल नामान्तरकरण लिपि की प्रति के साथ तहसीलदार सपोटरा को भिजवाया जावे। Rij पीठासीन अधिकारी (SDM) राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" सपोटरा, जिला-करौली (राज०)	